भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 87

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

फर्जी कंपनियाँ

87. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी फर्जी कंपनियों की पहचान की गई और उन्हें आधिकारिक अभिलेखों से हटाया गया;

(ख) क्या ऐसी कोई कंपनी धन शोधन या कर चोरी में संलिप्त पाई गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा नए नामों से ऐसी संस्थाओं के पुनः प्रकट होने को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग के साथ अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में 'शेल कंपनी' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यद्पि, समय-समय पर, मंत्रालय द्वारा धारा 248(1) के तहत ऐसी कंपनियाँ, जो तत्काल पिछले दो वित्तीय वर्षों की अवधि से कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही हैं और जिन्होंने अधिनियम की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है या ज्ञापन के अभिदाताओं ने वह अंशदान नहीं दिया है जिसका भुगतान उन्होंने कंपनी के निगमन के समय करने का वचन दिया था और इस आशय की घोषणा कि अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (1) के तहत निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर फाइल नहीं की गई है, को हटाने का अभियान चलाता है। अंतिम स्ट्राइक-ऑफ अभियान वर्ष 2022-23 में चलाया गया था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत ऐसी कंपनियां जो अपनी सभी देनदारियों को समाप्त करने के बाद स्वेच्छा से कंपनी रजिस्ट्रार से अपना नाम हटाने की मांग करती हैं, उन्हें निर्धारित तरीके से उचित प्रक्रिया का पालन करके हटा दिया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कंपनियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। यह प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, निदेशक मंडल और शेयरधारकों के माध्यम से कंपनियों के प्रबंधन के लिए जवाबदेही का प्रावधान करता है। अधिनियम और नियमों के अनुसार, कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में लेखा-बही, विभिन्न विवरणी और रजिस्टर आदि बनाए रखने और उन्हें अपने पंजीकृत कार्यालयों में रखने की आवश्यकता होती है।

अधिनियम के तहत लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन भी अनिवार्य किया गया है। लेखा-बही का स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को रजिस्ट्रार के पास विभिन्न दस्तावेज़, प्रस्तावों की प्रतियाँ, विवरणी आदि फाइल अपेक्षित हैं।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों की संख्या निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	हटाई गई कंपनियों की कुल संख्या
2021-2022	62,275
2022-2023	82,125
2023-2024	16,465
2024-2025	15,837
2025-2026(16 जुलाई तक)	8,648
कुल	1,85,350

(घ): जी हां, जब भी ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, तो ऐसी गतिविधियों की निगरानी के लिए उन्हें अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।

*****